आवश्यक

संख्या: 71/2023/419506/12-2099/139/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 11 सितम्बर, 2023

विषय: प्रदेश में समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरकों का स्टाक एवं बफर गोदाम/बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक स्टाक का शत-प्रतिशत सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 62/2023/2472373/12-2099/205/2022, दिनांक 02 अगस्त, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के साथ-साथ उर्वरक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टो के स्टॉक का सघन निरीक्षण किये जाने एवं रीयल टाइम एक्नालेजमेंट किये जाने के सम्बध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक विक्रेताओं द्वारा पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से की गई उर्वरकों की बिक्री को सत्यापित करने हेतु सतत् अनुश्रवण एवं प्रवर्तन आवश्यक है। अत: उक्त प्रक्रिया का विचलन कर बिक्री करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त उर्वरक बफर गोदामों/थोक उर्वरक बिक्री गोदामों/फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक स्टाक का शतप्रतिशत सत्यापन आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरकों के सम्भार के आधार पर दिनांक 15 सितम्बर, 2023 से दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के मध्य कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

(i) उर्वरकों के स्टाक का भौतिक सत्यापन dbtfert.nic.in के IFMS पोर्टल पर सत्यापन की तिथि को वेयर हाउस/थोक विक्रेता/फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रवार प्रदर्शित होने वाले स्टाक की मात्रा के सापेक्ष ही अनिवार्य रूप से किया जाए।

(ii) जिला कृषि अधिकारी के द्वारा आई.एफ.एम.एस. पोर्टल से बफर/थोक गोदाम एवं फुटकर बिक्री केन्द्रवार उपलब्ध उर्वरकों के सम्भार की सूची का प्रिन्ट आउट सत्यापन की तिथि को सत्यापनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।

(iii) सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के कम्पनी वेयर हाउस/गोदामों एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं के गोदामों का शतप्रतिशत सत्यापन करने हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदन से 03 सदस्यीय टीम गठित की जाए, जिसमें जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबंधक, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के अधिकारी सम्मिलित होंगे। टीम के द्वारा आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर प्रदर्शित स्टाक के सापेक्ष शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए।

(iv) फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध स्टाक का आई.एफ.एम.एस. पोर्टल/पी.ओ.एस. मशीन में प्रदर्शित स्टाक के अनुसार शत-प्रतिशत सत्यापन कराने हेतु कृषि, सहकारिता एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए।

(v) यदि किसी बफर/थोक गोदाम एवं बिक्री केन्द्र पर आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित सम्भार तथा बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध भौतिक सम्भार में भिन्नता या किसी प्रकार की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार सक्षम प्राधिकारी के स्तर से संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध जांचोपरान्त उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(vi) आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार के आधार पर उपरोक्तानुसार भौतिक सत्यापन दिनांक 15 मार्च, 2023 से दिनांक 25 मार्च, 2023 की अवधि में कराते हुए बफर गोदाम/थोक उर्वरक विक्रेताओं से संबंधित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रारूप-ए (भाग-1 एवं भाग-2) तथा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की सत्यापन से संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप-बी (भाग-1 एवं भाग-2) पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश (उर्वरक अनुभाग) को दिनांक 27 मार्च, 2023 तक अवश्य उपलब्ध करायी जाए।

3. सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर प्रदर्शित उर्वरक सम्भार और बफर गोदाम तथा थोक एवं फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार का वास्तविक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4. सत्यापन का कार्य सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा पूर्ण किया जाना सुनिचित किया जाए। भविष्य में यदि सत्यापन में कोई अनियमितता या त्रुटि प्रकाश में आती है तो सत्यापनकर्ता अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

उक्त निर्देशों का कृपया कड़ाई से सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 71/2023/427(1)/419506/12-2099/139/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-ए
भाग-1

बफर गोदाम/थोक उर्वरक गोदामों में आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर गोदाम पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापनकर्ता का नाम:
पदनाम:
जनपद का नाम:
विभाग का नाम:

क्र0 सं0	सत्यापन की तिथि	बफर गोदाम/थोक उर्वरक बिक्री केद्र का नाम एवं पता	उर्वरक विक्रेता की एम.एफ.एम.एस.आई.डी. संख्या	आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी.टन में)					बफर/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.टन में)				
				यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-बी
भाग-1

फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर गोदाम पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापनकर्ता का नाम:
पदनाम:
जनपद का नाम:
विभाग का नाम:

क्र0 सं0	सत्यापन की तिथि	फुटकर उर्वरक बिक्री केद्र का नाम एवं पता	उर्वरक विक्रेता की एम.एफ.एम.एस.आई.डी. संख्या	आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी.टन में)					बफर/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.टन में)				
				यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-ए
भाग-2

बफर गोदाम/थोक उर्वरक बिक्री केन्द्रों की आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर थोक केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट की संकलित सूचना का प्रारूप

सत्यापनकर्ता का नाम:
पदनाम:
जनपद का नाम:
विभाग का नाम:

क्र0 सं0	जनपद में बफर/ थोक बिक्री केन्द्रो की संख्या	जनपद में कुल सत्यापित उर्वरक बिक्री केन्द्रों की संख्या	जनपद में आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी.टन में)					जनपद में उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.टन में)					अन्तर की	
			यूरिया	डीए पी	एनपी के	एमओ पी	एसएस पी	यूरिया	डीए पी	एनपी के	एमओ पी	एसएस पी	यूरिया	डीए पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-बी
भाग-2

बफर/थोक उर्वरक विक्रेताओं की आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार एवं बफर थोक केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार की सत्यापन रिपोर्ट की संकलित सूचना का प्रारूप

सत्यापनकर्ता का नाम:
पदनाम:
जनपद का नाम:
विभाग का नाम:

क्र0 सं0	बफर/ थोक बिक्री केन्द्रो की संख्या	जनपद में कुल सत्यापित उर्वरक गोदामों की संख्या	जनपद में आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार (मात्रा मी.टन में)					जनपद में उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर भौतिक रूप में उपलब्ध सम्भार (मात्रा मी.टन में)					अन्त	
			यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	यूरिया	डीएपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।